

प्रेषक,  
अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उपरोक्त, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-३७ में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बिजनौर की ०९ परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-३९२३/१७/१०/छ:/विविध/२०१७-१८, दिनांक ०५ अक्टूबर, २०१८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-बिजनौर की न००४०, नहटौर, व न००४०परि, हल्दौर व बिजनौर की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग ०९ परियोजनाओं हेतु कुल रु० १६६.३६ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित एकमुश्त धनराशि रु० १६६.३६ लाख (रूपये एक करोड़ छाँठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय/निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-११७/२०१७/१२७९/६९-१-१७-१४(३१)/२०१२टीसी, दिनांक २६ अक्टूबर, २०१७ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णपूर्ण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में दर्जित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
३. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुलिखित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
४. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

को/प्रभुग/कांडा/मी गो/१८६

21/12/18

FC एक्ट्री AE के

21/12/18

क्रमशः.....2

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कायदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करते से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्ट्रेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

मुख्यमंत्री,  
17/3/19  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-65/2018/1834(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. भहालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बिजनौर।
6. निजी सचिव, माझ मंत्री जी, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन को माझ मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-९, ३०प्र० शासन।
8. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
9. भुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियन्त्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-645 /2018/1834(1)/69-1-18-152(मु030-37)/2018, दिनांक १३ दिसम्बर,  
2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | निकाय/<br>नगर<br>पंचायत का नाम। | बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।   | परियोजना की कुल लागत। | स्वीकृति की जा रही एकमुश्त धनराशि। |
|----------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| 1        | 2           | 3                               | 4  | 5                     | 6                                  |
| 1        | बिजनौर      | न०पं०,<br>नहटौर                 | मो० नौथा इडा कालोनी रोड में भगत जी के प्लाट से श्री तुलाराम जी के प्लाट तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।        | 28.46                 | 28.46                              |
| 2        | तदैव        | तदैव                            | मो० नौथा इडा कालोनी रोड में श्री तुलाराम के प्लाट से कब्रिस्तान के कोने तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।        | 29.34                 | 29.34                              |
| 3        | तदैव        | न०पा०पा०,<br>हल्दौर             | मो० तोलावाला में मास्टर गजराज सिंह के मकान से श्री धीरज रस्तोगी के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।        | 5.77                  | 5.77                               |
| 4        | तदैव        | तदैव                            | मो० तोलावाला में श्रीमती सीमा के मकान से अर्यूव के स्टोर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।                       | 5.77                  | 5.77                               |
| 5        | तदैव        | तदैव                            | मो० तोलावाला में श्री धीरज रस्तोगी के मकान से श्री रोहताश प्रथानाचार्य के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य। | 13.61                 | 13.61                              |
| 6        | तदैव        | तदैव                            | मो० तोलावाला में श्री छुट्टन सेनी के मकान से श्री राजपाल के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।               | 28.10                 | 28.10                              |
| 7        | तदैव        | तदैव                            | मो० खेडा में राणा के क्लीनिक से टाट मोहरा तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।                                   | 10.67                 | 10.67                              |
| 8        | तदैव        | न०पा०पा०<br>बिजनौर              | मो० चाहशीरी में श्री घनश्याम की दुकान से घन्टा घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।                           | 24.12                 | 24.12                              |
| 9        | तदैव        | तदैव                            | मो० मिर्दगान में भटनागर के मकान से चाय की दुकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।                             | 20.52                 | 20.52                              |
| योग      |             |                                 |  | 166.36                | 166.36                             |

(रूपये एक करोड़ छाप्ठ लाख छत्तीस हजार मात्र)।

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।